जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / जविप्रा / अति.आयुक्त (पूर्व) / 2021 / डी– 319 दिनांक 24.12.2021

कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2021 को एम्पावर्ड कमेठी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की प्रगति, बी.एस.यू.पी. के आवंटित आवासों एवं जविप्रा द्वारा नीलामी व निश्चत दर पर लॉटरी से आवंटित किये गये भूखण्डो पर ब्याज व शास्ती पर छूट के क्रम में चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त जविप्रा द्वारा 18000 से अधिक पट्टो का वितरण किया जा चुका है, जिस पर सन्तोष व्यक्त किया गया। तदोपरान्त बैठक में निम्नांकित निर्णय / निर्देश प्रदान किए गए :–

क. सं.	विषय	निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी
1.	प्रशासन शहरों के संग अभियान	• बी.एस.यू.पी. के आवंटित आवासों में मांग–पत्र जारी होने के 90 दिवस से एक वर्ष की अवधि में जमा कराने की स्वीकृति (राशि ब्याज व पैनल्टी की वसूली के साथ) सचिव जविप्रा जयपुर के स्तर से जारी की जाती है। प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(1) न.वि.वि. / अभियान / 2021 जयपुर दिनांक 02.11.2021 के अनुसार अवधि के दौरान एक मुश्त जमा कराई जाती है तो ब्याज एवं पैनेल्टी में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए आवेदक का आवंटन बहाल करने हेतु जोन उपायुक्तगण को अधिकृत किया जाता है। • जविप्रा द्वारा नीलामी व निश्चित दर पर लॉटरी से आवंटन किये गये भूखण्डो मे मांग–पत्र आवंटन–पत्र के अनुसार निर्धारित समय मे राशि जमा नहीं कराकर विलम्ब से मूल राशि जमा कराई गयी है। किन्तु ब्याज व शास्ती की राशि जमा नहीं करवाई गयी है। अभियान अवधि (दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022	अति0आयुक्त (प्रशासन) अति0आयुक्त–पूर्व (पी.आर.एन.) समस्त उपायुक्तगण

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष -.{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

		तक) ऐसे प्रकरण जिनमें मूल राशि जमा है परन्तु ब्याज व शास्ती जमा नहीं है उनमें ब्याज व शास्ती में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए (राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 20 सितम्बर 2021 के तहत) लीजडीड/पट्टा देकर कब्जा दिये जाने की कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को अधिकृत किया जाता है।	

बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

(हृदेश कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. समस्त निदेशक जविप्रा, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण (प्रशासन,/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./पी.आर.एन. एवं पुनर्वास/भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्तगण जोन–1 से 14/पी.आर.एन. उत्तर–I/II, दक्षिण–I/II, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार– सहकारिता/जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जविप्रा,जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल - {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/जविप्रा/अति.आयुक्त (पूर्व)/2021/डी-321 दिनांक 27-12-2021

संशोधित कार्यवाही विवरण

क्र. सं.	विषय	निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी
1.	प्रशासन शहरों के संग अभियान	• एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 14.12.2021 का कार्यवाही विवरण क्रमांक 319 दिनांक 24.12.2021 के बिन्दु संख्या 1 में निम्न संशोधन किया जाता है:— नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों/ आवासों की बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराने से आवंटन/नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका आवंटन/नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण चेयरमैन, ट्रस्ट, राज्य सरकार को प्राप्त होते है। ऐसे मामलों मे गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों को बहाल करने हेतु उपायुक्त को अधिकृत किया जाता है	अति0आयुक्त (प्रशासन) अति0आयुक्त—पूर्व (पी.आर.एन.) समस्त उपायुक्तगण

(हृदेश कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. समस्त निदेशक जविप्रा, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण (प्रशासन,/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./पी.आर.एन. एवं पुनर्वास/भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्तगण जोन—1 से 14/पी.आर.एन. उत्तर—I/II, दक्षिण—I/II, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार— सहकारिता/जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जविप्रा,जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल - {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}